न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 30 / 2022

उनवान

मीरा पत्नी स्व. लक्ष्मण चरपोटा जाति भील निवासी रामपुर तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: वादीया

बनाम

(1) पुनिया पिता हवजी चरपोटा जाति भील निवासी रामपुर तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(2) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 27.8.2024

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया के पति स्व. लक्ष्मण व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता मुल पुरूष हवजी चरपोटा के स्वामित्व व आधिपत्य व खाते की कृषि भूमि गांव रामपुरउतहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है। जिसका खाता संख्या नया 50 व पुराना 53 का खसरा संख्या 1437 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 1443 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 1445 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1446 रकबा 0.15 हैक्टर, कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.83 हैक्टर है। जिस पर वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं राज्य सरकार में लगान संयुक्त रूप से अदा करते चले आ रहे हैं। वादीया का पति स्व. लक्ष्मण चरपोटा व प्रतिवादी संख्या 01 मुल पुरूष हवजी के उत्तराधिकारी थे तथा वादीया के पति लक्ष्मण चरपोटा की मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है तथा मृतक लक्ष्मण का पुत्र अर्जुन जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है तथा उसका भी मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है तथा बतौर विरासत के उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर सुंयक्त रूप से वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 काश्त करते चले आ रहे हैं तथा लगान भी संयुक्त अदा करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपना नाम कृषि भुमि दर्ज करा दी है जिस पर वादीया आज भी कृषि काश्त कर पैतृक बंटवारे के अनुसार उक्त भुमि का उपयोग उपभोग कर रही है। वादीया ने कई बार प्रतिवादी संख्या 01 को कहा कि उक्त खसरा नम्बरों पर हमारा नाम दर्ज करा लो। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 कहने लगा कि आप भी मेरे साथ खेती कर ही रहे हो, मैं क्यों तुमको हटाउंगा। जिस पर हमने कहा कि आज नहीं तो कल तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना पडेगा लेकिन आनाकानी व टालमटोल से वादीया को खातेदार के पैतृक खातेदारी में बतौर विरासत प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिस हेतु खातेदार कृषक घोषित करने धारा 88, 209 रा.का. अधिनियम तथा वादीया के उक्त संयुक्त खाते के सर्वे नम्बर में प्रतिवादी संख्या 01 वादीया की उक्त भूमि में अनाधिकृत रूप से एक माह पूर्व प्रवेश होकर बागड़ लगाने एवं कब्जा करने की गैर कानुनी रूप से प्रयास कर रहे हैं एवं वादीया द्वारा ना करने पर प्रतिवादी नहीं मान रहा है और वादीया को जान से मारने की धमकि दे रहा हैं। इसलिए वादीया की प्रतिवादी [illegible] ये वाद पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] भूमि से अवैध रूप बेदखल करने का प्रयास कर रहा हैं व उक्त पैतृक भूमि का बेचान, [illegible] कर सकता हैं, जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को रोका जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बेबैचान, बेदखल [illegible] बुर्द न करें, न किसी अन्य से करावें, के लिए पाबन्द हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश है। वादग्रस्त कृषि भुमि वादग्रस्त की चरण संख्या 1 में अंकित खाता संख्या नया 50 व पुराना 53 का खसरा संख्या 1437 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 1443 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 1445 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1446 रकबा 0.15 हैक्टर, कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.83 हैक्टर है में वादीया के पति स्व. लक्ष्मण की मृत्यु हो जाने से वादीया को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:26:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 के साथ संयुक्त सहखातेदार कृषक घोषित किये जाने की डिग्री जारी फरमावें ।, यह कि वादी के उक्त खाते की भुमि में प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल नहीं करें, बेबैचान व खुर्द–बुर्द न करें और न किसी अन्य से करावें और वादी को काश्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान व रूकावट पैदा नहीं करें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री कराने वाद प्रस्तुत हुआ।

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 का सम्मन बाद तामील पेश होने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की जाने पर वादीया की साक्ष्य के रूप में गीता पुत्री लक्ष्मण पत्नि कान्तिलाल, सीमा पुत्री लक्ष्मण तथा स्वंय वादीया मीरा पत्निस्व0 लक्ष्मण की साक्ष्य के शपथ–पत्र पेश होकर वादीया को सहखातेदार घोषित कराया जाने का कथन किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में वादी अभिभाषकं की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वादी अभिभाषक की बहस पर सक्षिप्त मनन् एंव वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद, राजस्व अभिलेख यथाः जमाबन्दी खेवट खतोनी ग्राम डैयाना संवत 2027 से 2030 खातेदार हमीरा पिता कुबेर, नकल तुलनात्मक पत्र, ग्राम रामपुर की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 खातेदार पुनिया पिता हवजी भील का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादग्रस्त भूमि के समर्थन में मूल पुरूष के खाते की जो जमाबन्दी खेवट खतोनी ग्राम डैयाना संवत 2027 से 2030 खातेदार हमीरा पिता कुबेर की प्रस्तुत की गई है उसका एंव वाद में वर्णित मूल पुरूष के नाम में भिन्नता होने से वादीया का वाद स्वीकार किया जाने योग्य नही होने से वादीया का वाद खारिज किया जाता है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

आदेश

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद, राजस्व अभिलेख यथाः जमाबन्दी खेवट खतोनी ग्राम डैयाना संवत 2027 से 2030 खातेदार हमीरा पिता कुबेर, नकल तुलनात्मक पत्र, ग्राम रामपुर की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 खातेदार पुनिया पिता हवजी भील का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादग्रस्त भूमि के समर्थन में मूल पुरूष के खाते की जो जमाबन्दी खेवट खतोनी ग्राम डैयाना संवत 2027 से 2030 खातेदार हमीरा पिता कुबेर की प्रस्तुत की गई है उसका एंव वाद में वर्णित मूल पुरूष के नाम में भिन्नता होने से वादीया का वाद स्वीकार किया जाने योग्य नही होने से वादीया का वाद खारिज किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.8.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:26:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्राजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतःउपखण्ड अधिकारी, मुकाम गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 30 / 2022

उनवान

मीरा पत्नी स्व. लक्ष्मण चरपोटा जाति भील निवासी रामपुर तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: वादीया

बनाम

(1) पुनिया पिता हवजी चरपोटा जाति भील निवासी रामपुर तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः27.8.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद, राजस्व अभिलेख यथाः जमाबन्दी खेवट खतोनी ग्राम डैयाना संवत 2027 से 2030 खातेदार हमीरा पिता कुबेर, नकल तुलनात्मक पत्र, ग्राम रामपुर की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 खातेदार पुनिया पिता हवजी भील का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादग्रस्त भूमि के समर्थन में मूल पुरूष के खाते की जो जमाबन्दी खेवट खतोनी ग्राम डैयाना संवत 2027 से 2030 खातेदार हमीरा पिता कुबेर की प्रस्तुत की गई है उसका एंव वाद में वर्णित मूल पुरूष के नाम में भिन्नता होने से वादीया का वाद स्वीकार किया जाने योग्य नही होने से वादीया का वाद खारिज किया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक27.8.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
		स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टांप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	मुतफरीक	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य		शून्य
मुतफरीक	शून्य	कु[illegible]	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:26:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

27.8.24 पत्रावली पेश हुई। वादी [illegible] अनुपस्थित।
प्रकरण में जमाबन्दी पेश नहीं हुई। पत्रावली का
अवलोकन किया जाकर पुस्तक से [illegible] जारी
कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद अमल
दरामद कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:26:47 IST
Reason: SelfAttested